इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 604]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 नवम्बर 2017—कार्तिक 23, शक 1939

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2017

क्रमांक: 1-02/2016/साठ – "मध्य प्रदेश विकेन्द्रीयकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016" क्रमांक-414 दिनांक 04.10.2016 की कण्डिका-21 में प्रशासकीय विभाग (नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग) को प्रदत्त शक्तियों के सन्दर्भ में, नीति को अधिक प्रभावी बनाने एवं प्रावधानों को स्पष्ट करने या उसकी व्याख्या के लिये निम्नानुसार संशोधन किया गया है। सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त का प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

संशोधन-1 {पृष्ठ क्रमांक-5, कण्डिका-2 (ख)}

"उपभोक्ता (Consumer)" से तात्पर्य, कोई व्यक्ति जिसे, उसके स्वयं के उपयोग हेतु अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा अथवा शासन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन विद्युत प्रदाय के व्यवसाय में संलग्न हो, द्वारा विद्युत प्रदाय किया जा रहा हो तथा इसमें सिम्मिलित कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका परिसर यथा समय वितरण अनुज्ञिप्तिधारी अथवा शासन या ऐसे अन्य व्यक्ति, के कार्यों से तत्समय विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजन से संयोजित हो। ऐसे उपयोगकर्ता, जिनकी अनुज्ञिप्तिधारी के साथ मात्र व्हीलिंग / प्रदाय व्यवस्थाएँ सिन्निहत हों या फिर ऑफ–ग्रिड भारों के उपयोगकर्ताओं को भी, इस नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है।"

उक्त पैरा के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित माना जाए:-

"उपमोक्ता (Consumer)" से तात्पर्य, कोई व्यक्ति जिसे, उसके स्वयं के उपयोग हेतु अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा अथवा शासन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन विद्युत प्रदाय के व्यवसाय में संलग्न हो, द्वारा विद्युत की माँग की गई हो अथवा विद्युत प्रदाय किया जा रहा हो तथा इसमें सम्मिलित कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका परिसर यथा समय वितरण अनुज्ञिप्तिधारी अथवा शासन या ऐसे अन्य व्यक्ति, के कार्यों से तत्समय विद्युत प्राप्त करने के प्रयोजन से संयोजित हो। ऐसे उपयोगकर्ता, जिनकी अनुज्ञिप्तिधारी के साथ मात्र व्हीलिंग/प्रदाय व्यवस्थाएँ सन्निहित हों या फिर ऑफ—ग्रिड भारों के उपयोगकर्ताओं को भी, इस नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है।

संशोधन—2 (पृष्ठ क्रमांक—14, कण्डिका—6 (6.3)}

"यह नीति ऐसे समस्त नवकरणीय ऊर्जा हितग्राहियों को लागू होगी, जो म.प्र.वि.नि.—आ. विनियम के अधीन, कंडिका 1.9 में परिभाषित किये गये अनुसार अधिकतम् 42 मेगावाट क्षमता तक की ऑफ—ग्रिड अथवा ग्रिड संयोजित नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना अपने परिसरों में करें।"

उक्त पैरा के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित माना जाए:--

यह नीति ऐसे समस्त नवकरणीय ऊर्जा हितग्राहियों को लागू होगी, जो अपने परिसर में ऑफ-ग्रिड अथवा ग्रिड संयोजित नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना एक या अधिक श्रेणियों के तहत् कंडिका 1.9 में परिभाषित किये गये अनुसार हो, जिनकी क्षमता 42 मेगावाट हो। आगे, इसके अतिरिक्त नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना खुली पहुंच के माध्यम से स्वयं के उपयोग या तृतीय पक्ष को ऊर्जा विक्रय, "मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा से विघुत उत्पादन की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सौर ऊर्जा परियोजना नीति 2012" के तहत् बिना किसी बंधन के की जा सकती हैं।

संशोधन-3 (पृष्ठ क्रमांक-14, कण्डिका-6 (6.5))

''थोक उपभोक्ता (Bulk Consumers), जो एकल बिन्दु संयोजन उपभोक्ता है, भी इस नीति के अंतर्गत सम्मिलित होने की पात्रता रखेंगे।''

उक्त पैरा के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित माना जाए:--

थोक उपभोक्ता (Bulk Consumers), के साथ—साथ अंतिम उपयोगकर्ता जो एकल बिंदु संयोजन उपभोक्ता हैं, भी इस नीति के अंतर्गत सम्मिलित होने की पात्रता रखेगें। ऐसे अंतिम उपयोगकर्ता जो कि एकल बिंदु संयोजन उपभोक्ता है, उन पर भी वहीं शर्ते लागू होंगी, जैसा कि इस नीति में वितरण अनुज्ञिप्तिधारी को परिभाषित किया गया है।

संशोधन-4 (पृष्ठ क्रमांक-14, कण्डिका-6 (6.8))

"जैसा कि उपरोक्त कंडिका 1.9 में परिभाषित किया गया है, इस नीति के अंतर्गत नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का संचालन निम्न तरीकों द्वारा किया जा सकता है:"

उक्त पैरा के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित माना जाए:--

जैसा कि उपरोक्त कंडिका 1.9 में परिभाषित किया गया है, इस नीति के अंतर्गत नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का संचालन निम्न श्रेणियों या उनके मिश्रण द्वारा किया जा सकता है:

संशोधन-5 (पृष्ठ क्रमांक-23, कण्डिका-10 (10.4)}

"मध्यप्रदेश राज्य में लागू, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 47(ए), के अनुपालन में 10 किलोवाट क्षमता तक की ग्रिंड संयोजित नवकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना को शासन के मुख्य विद्युत निरीक्षक (CEIG) के अनुमोदन से छूट प्रदान की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में, विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ही, 10 किलोवाट क्षमता तक की ग्रिंड संयोजित नवकरणीय ऊर्जा का निरीक्षण किया जा सकता है। तथापि, ऐसी छूट मध्यप्रदेश शासन/म.प्रं.वि.नि.आ./केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचलित अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगी।"

उक्त पैरा के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित माना जाए:--

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा—162 एवं मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना 3366/एफ—5—6/2016 के अनुपालन में 100 kW क्षमता तक की ग्रिड संयोजित नवकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना को शासन के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन से छूट प्रदान की गई है। जबकि नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में 500 kVA क्षमता तक की ग्रिड संयोजित नवकरणीय ऊर्जा परियोजना को ऊर्जा

मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 1779 ई, 16 मई 2016 के अनुपालन में शासन के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन से छूट प्रदान की गई है:

- (अ) ऐसी उत्पादन कम्पनी के संबंध में, जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र शासन के स्वामित्व में हों।
- (ब) खानों, तेल क्षेत्रों, रेलों, राष्ट्रीय राजमार्गों, विमानपत्तनों, तार, प्रसारण केन्द्रों और किसी रक्षा संकर्म, डॉक यार्ड, परमाणुशक्ति संस्थापनों को विद्युत प्रदाय के संबंध में; या
- (स) केन्द्र शासन या उसके नियंत्रणाधीन किसी संकर्म या विद्युत संस्थापन के संबंध में,

संसोधन -6 (पृष्ठ क्रमांक- 22, कण्डिका- 10(10.1)}

"यदि कोई उच्च दाब उपभोक्ता (11 केवी तथा इससे अधिक पर संयोजित), विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, शुद्ध मीटरीकृत नवकरणीय ऊर्जा आधारित प्रणाली की स्थापना करता हो, तो वह ऐसी नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली को निम्न दाब पक्ष के विभिन्न जगहों पर अनुप्रयोगों हेतु अंर्तसंयोजित कर सकता है। तथापि, शुद्ध मापयंत्र की स्थापना ट्रांसफार्मर के उच्च दाब पक्ष कि ओर की जाएगी। शुद्ध मीटरीकृत नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के साथ अंर्तसंयोजन के बारे में, विशिष्ट एकल रेखा आकृतियों (Single Line Diagrams) को संलग्नक—IV में दर्शाया गया है।"

उक्त पैरा के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित माना जाए:--

यदि कोई उच्च दाब उपमोक्ता (11 केवी तथा इससे अधिक पर संयोजित), विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, शुद्ध मीटरीकृत नवकरणीय ऊर्जा आधारित प्रणाली की स्थापना करता हो, तो वह ऐसी नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली को निम्न वोल्टेज स्तर एवं विभिन्न जगहों पर अनुप्रयोगों हेतु अंतसंयोजित कर सकता हैं क्योंकि, उपमोक्ता ऐसे निम्न स्तर पर ऊर्जा की खपत कर रहा हैं। तथापि, शुद्ध मापयंत्र की स्थापना द्रांसफार्मर के उच्च दाब पक्ष की ओर की जाएगी। शुद्ध मीटरीकृत नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क के साथ अंत्रसंयोजन के बारे में, विशिष्ट एकल रेखा आकृतियों (Single Line Diagrams) को संलग्नक— IV में दर्शाया गया है।"

संशोधन--७ (पृष्ठ क्रमांक--३१, कण्डिका--१९ (१९.१'ठ')}

"इस नीति के कंडिका 10.4 के अनुसार, 10 किलोवाट क्षमता तक की नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली को शासन के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन से छूट प्रदान की गई है।"

उक्त पैरा के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित माना जाए:--

इस नीति के कंडिका 10.4 के अनुसार 100 kW तक की क्षमता या 500 kVA की क्षमता जो भी लागू हो, नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली को शासन के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन से छूट प्रदान की गई है।

संशोधन-8 (पृष्ठ क्रमांक-33, कण्डिका-19.2 (19.2'ट')}

"इस नीति के कंडिका 10.4 के अनुसार, 10 किलोवाट क्षमता तक की नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली को शासन के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन से छूट प्रदान की गई है।"

उक्त पैरा के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित माना जाए:-

इस नीति के कंडिका 10.4 के अनुसार 100 kW तक की क्षमता या 500 kVA की क्षमता जो भी लागू हो, नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली को शासन के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन से छूट प्रदान की गई है।

संशोधन-9 (पृष्ठ क्रमांक-34, कण्डिका-20)

"ऐसे समस्त नवकरणीय ऊर्जा हितग्राही, जिन्होंने इस नीति के अधिसूचित किये जाने से पूर्व अपनी नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन की वर्तमान सौर/पवन/बायोमास—नीतियों के अंतर्गत, पंजीकृत किया हो, वे इस नीति के अंतर्गत दर्शाये गये मानदण्ड को पूरा करने पर वर्तमान नवकरणीय ऊर्जा नीतियों से इस नीति में विस्थापित हो सकते है।"

उक्त पैरा के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित माना जाए:-

ऐसे समस्त नवकरणीय ऊर्जा हितग्राही, जिन्होंने नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन अधिसूचना जारी होने के समय प्रांरम की थी अथवा जिन्होंने इस नीति के अधिसूचित किये जाने से पूर्व अपनी नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन की पूर्ववर्ती सौर/पवन/बायोमास—नीतियों के अंतर्गत, पंजीकृत किया हो, वे इस नीति के अंतर्गत दर्शाये गये मानदण्ड को पूरा करने पर वर्तमान नवकरणीय ऊर्जा नीतियों से इस नीति में विस्थापित हो सकते है।

संशोधन-- 10 (पृष्ठ क्रमांक-- 35, संलग्नक-- 1)

इस अधिसूचित नीति में संलग्नक—1 (विद्युत उत्पादन मापयंत्र हेतु मानक) के स्थान पर संशोधित संलग्नक—1 (विद्युत उत्पादन मापयंत्र हेतु मानक) माना जाए, जैसा कि संशोधित संलग्नक—1 में स्थित है।

संशोधन-11 (पृष्ठ क्रमांक-36, संलग्नक-1)

इस अधिसूचित नीति में संलग्नक—1 (शुद्ध मापयंत्र हेतु मानक) के स्थान पर संशोधित संलग्नक—1 (शुद्ध मापयंत्र हेत् मानक) माना जाए, जैसा कि संशोधित संलग्नक—1 में स्थित है।

संशोधन-12 (पृष्ठ क्रमांक-38, संलग्नक-3)

इस अधिसूचित नीति में संलग्नक-3 (तकनीकी तथा अर्न्तसंयोजन आवश्यकताओं संबंधी मानदण्ड) में बिन्दु क्रमांक-7 से 15 अनुलग्न / संलग्न किया गया है, जो कि संशोधित संलग्नक-3 में स्थित है।

संशोधन-13 (पृष्ठ क्रमांक-46, संलग्नक-5A)

इस अधिसूचित नीति के संलग्नक—5A (छत पर स्थापित की जाने वाली ग्रिड संयोजित शुद्ध मीटरीकरण व्यवस्था हेतु ग्रिड संयोजन के प्रावधान तथा लघु सौर फोटोवोल्टीय प्रणाली हेतु आवेदन) को संशोधित संलग्नक—5A में माना जाए।

संशोधन-14 (पृष्ठ क्रमांक-48, संलग्नक-5B)

इस अधिसूचित नीति के संलग्नक—5B (छत पर स्थापित की जाने वाली ग्रिड संयोजित व्यवस्था हेतु ग्रिड संयोजन के प्रावधान तथा लघु सौर फोटोवोल्टीय प्रणाली हेतु आवेदन) श्रेणी—I के हितग्राहियों को छोडकर।

उक्त शीर्षक के स्थान पर निम्न शीर्षक प्रतिस्थापित माना जाए:--

संलग्नक-5B (छत पर स्थापित की जाने वाली ग्रिड संयोजित व्यवस्था हेतु ग्रिड संयोजन के प्रावधान तथा लघु सौर फोटोवोल्टीय प्रणाली हेतु आवेदन) श्रेणी-II के हितग्राहियों को छोड़कर।

संशोधन-15 (संलग्नक-5C)

इस नीति में संलग्नक—5C (श्रेणी—III के अंतर्गत छत पर स्थापित की जाने वाली ग्रिड संयोजित व्यवस्था हेतु ग्रिड संयोजन के प्रावधान तथा लघु सौर फोटोवोल्टीय प्रणाली हेतु सूचना) का समायोजन किया गया है एवं इस नीति में संलग्नक—5C को जोड़ा गया है।

संशोधन-16 (पृष्ठ क्रमांक-52, संलग्नक-7A)

इस अधिसूचित नीति में संलग्नक--7A (शुद्ध मीटरीकरण तथा ग्रिड संयोजित नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की ग्रिड संयोजन व्यवस्था हेतु आवेदन के संबंध में उपभोक्ता अनुमोदन--पत्र)

उक्त शीर्षक के स्थान पर निम्न शीर्षक प्रतिस्थापित माना जाए:--

संलग्नक-7A (शुद्ध मीटरीकरण नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की ग्रिड संयोजन व्यवस्था हेतु आवेदन के संबंध में अनुमोदन-पत्र)।

संशोधन-17 (संलग्नक-7B)

संलग्नक-7B (श्रेणी-II के अंतर्गत नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली हेतु आवेदन के सम्बन्ध में उपभोक्ता अनुमोदन-पत्र) का समायोजन अधिसूचित नीति में किया गया है एवं संशोधित नीति में संलग्नक-7B संलग्न है।

संलग्नक-1

विद्युत उत्पादन मापयंत्र हेतु मानक (Standards for Generation Meter)

सरल क्रमांक	तकनीकी मापदण्ड (Technical	415 वोल्ट तथा इससे कम वोल्टेज स्तर पर संयोजन (Connectivity)			संयोजन (Connectivity)	डी.सी. उत्पादन मापयंत्र
	Parameters)		ति धारा मापयंत्र urrent Meters)			
1	प्रयोज्यता (Applicability)	नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र4 किलोवाट क्षमता तक *	नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र—4 किलोवाट से अधिक तथा 15 किलोवाट क्षमता तक *	नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र—15 किलोवाट से अधिक तथा 112 किलोवाट क्षमता तक	उच्च वोल्टेज (EHV) विद्युत प्रदाय	नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली संग्रहण के साथ
2	फेज संख्या तथा तन्तु पथों (तारों) की संख्या (Number of phases and wires)	एकल फेज, दो—तार			तीन फेज, चार तार	एकल फेज, दो तार
3	मापन इकाई (यां) Measurement (s)	किलोवाट ऑवर (kWh)	किलोवाट ऑवर (kWh)	किलोवाट ऑवर (kWh), किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर (kVAh), किलो एम्पीयर आवर (kVA), पावर फेक्टर (PF)	एम्पीयर (kVA), पावर फेक्टर (PF) अधिकतम मांग (Max. demand)	वोल्टेज (V) विद्युतधारा (I) पॉवर (kW) एनर्जी (kWh)
4	मानक वोल्टेज तथा आवृत्ति (Standard Voltage and frequency)	240 वोल्ट (V), 50±5%	36240 वोल्ट (V) (P- N), 415 वोल्ट (V) (P-P), 50±5%	3\$240 वोल्ट (V) (P-N), 415 वोल्ट (V) (P-P), 50±5%	3\$63.5 वोल्ट (V) (P-N), 110 वोल्ट (V) (P-P) 50±5%	सांकेतिक वेल्यू
5	धारा निर्धारित मूल्य (Current Rating)	5-30 एम्पीयर	5-30/10-60 एम्पीयर	5 एम्पीअर (5 Amp)	415 v के लिए 5 एम्पीयर < वोल्टेज स्तर <= 132 किलोवोल्ट ;1 एम्पीयर के लिए वोल्टेजस्तर > 132 किलोवोल्ट	±0.5% सांकेतिक वेल्यू
6	परिशुद्धता श्रेणी (Accuracy class)	1.08	1.0S	0.5S	0.5\$	1.08
7	किस भारतीय मानक (IS) या आईईसी (IEC) के अनुरूप है—	1S 13779-1999	IS 13779-1999	IS 14697	IS 14697	IEC 61326- 2012, IEC 61000-4-3, IEC 61010-1- 2010, IEC 60529
8	आयात—निर्यात विशिष्टता (Import-	अग्रवर्ती आयात (Forward import)	अग्रवर्ती आयात (Forward import)	अग्रवर्ती आयात (Forward import)	अग्रवर्ती आयात (Forward import)	(Forward import)
9	export feature) संचार पोर्ट / प्रोटोकाल (Communication Port/ Protocol)	ऑप्टीकल / डीएलएमएस; (Optical/ DLMS)	ऑप्टीकल, आरएस —232 / डीएलएमए स (Optical, RS- 232/ DLMS)	ऑप्टीकल, आरएस —232 / डीएलएमएस (Optical, RS- 232/ DLMS)	ऑप्टीकल, आरएस —232 / डीएलएमएस (Optical, RS- 232/ DLMS)	आर.एस. 485 माड्बस प्रोटोकॉल

^{* 15} kW क्षमता तक के नवकरणीय ऊर्जा संयत्र के विद्युत उत्पादन की गणना, मानदण्डीय क्षमता उपयोगिता कारक (Normative CUF) के आधार पर की जाएगी जिसका निर्णय संयुक्त रूप से नवीन व नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा ऊर्जा विभाग द्वारा नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन की सुनिश्चितता, शुद्ध मापन व्यवस्था (Net metering Arrangement) के अंतर्गत निर्धारित करेंगे। आगे, 15 kW क्षमता तक के नवकरणीय ऊर्जा संयत्र के साथ पृथक विद्युत उत्पादन मापयंत्र (Generation Meter) की आवश्यकता नहीं होगी तथापि संयंत्र के साथ स्थापित ऊर्जा अनुकूलन ईकाई (Power Conditioning Unit)/ इन्वर्टर (अंतिवर्तक) के साथ अंतीनिर्गित मापयंत्र ही पर्याप्त होगा।

शुद्ध मापयंत्र हेतु मानक (Standards for Net Meter)

सरल क्रमांक	तकनीकी मापदण्ड (Technical Parameters)	415 वोल्ट तथा इससे कम वोल्टेज स्तर पर संयोजन (Connectivity) सम्पर्ण विद्यत धारा मापयंत्र सीटी संचालित (CT			415 वोल्ट तथा इससे कम वोल्टेज स्तर पर संयोजन (Connectivity) सीटी-पीटी संचालित
			ोद्युत धारा मापयंत्र Current Meters)	Operated)	(CT-PT Operated)
1		5 किलोवाट संयोजित भार तक	5 किलोवाट से अधिक तथा 18.65 किलोवाट संयोजित भार तक	18.65 किलोवाट संयोजित भार से अधिक तथा 112 किलोवोल्ट एम्पीअर संयोजित भार तक	उच्च दाब (HT) / अति उच्च वोल्टेज (EHV) विद्युत प्रदाय
2	फेज संख्या तथा तन्तु पथों (तारों) की संख्या (Number of phases and wires)	एकल फेज, दो—तार	तीन फेज, चार तार	एकल फेज, चार— तार	तीन फेज, चार तार
3	मापन इकाई (यां) Measurement (s)	किलोवाट ऑवर (kWh)	किलोवाट ऑवर (kWh)	किलोवाट ऑवर (kwh), किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर (kVAh), किलोवोल्ट एम्पीयर (kVA), पावर फेक्टर (PF)	किलोवॉट आवर (kwh), किलोवोल्ट एम्पीयर आवर (kVAh), किलोवोल्ट एम्पीयर आवर (VA), पावर फेक्टर (PF) अधिकतम मांग (Max. demand)
4	मानक वोल्टेज तथा आवृत्ति (Standard Voltage and frequency)	240 वोल्ट (V), 50±5%	3\$\psi 240 वोल्ट (V) (P-N), 415 वोल्ट (V) (P-P), 50±5%	3\$240 वोल्ट (V) (P-N), 415 वोल्ट (V) (P-P), 50±5%	3¢63.5 वोल्ट (V) (P-N), 110 वोल्ट (V) (P-P) 50±5%
5	धारा निर्धारित मूल्य (Current Rating)	5-30	5-30/10-60	पाँच एम्पीअर (5 Amp)	415 v के लिए 5 एम्पीयर < वोल्टेज स्तर < = 132 किलोवोल्ट ;1 एम्पीयर के लिए वोल्टेजस्तर > 132 किलोवोल्ट
6	परिशुद्धता श्रेणी (Accuracy class)	1.0 S	1.0 S	0.5 S	415 V के लिए 0.5S < वोल्टेज स्तर <= 132 किलोवोल्ट ; 0.25 के लिए वोल्टेज स्तर 132 किलोवोल्ट
7	किस भारतीय मानक (IS) या आईईसी (IEC) के अनुरूप है—	IS 13779-1999	IS 13779-1999	IS 14697	IS 14697
8	आयात-निर्यात विशिष्टता (Import- export feature)	आयात / निर्यात (Import Export)	आयात / निर्यात (Import Export)	आयात / निर्यात (Import Export)	आयात / निर्यात (Import Export)
9	संचार पोर्ट / प्रोटोकाल (Communication Port/ Protocol)	ऑप्टीकल / डीएलएमएस; (Optical/ DLMS)	ऑप्टीकल, आरएस —232 / डीएलएमएस (Optical, RS- 232/ DLMS)	ऑप्टीकल आरएस —232 / डीएलएमएस (Optical, RS- 232/ DLMS)	ऑप्टीकल आरएस 232 / डीएलएमएस (Optical, RS-232/ DLMS)

नोट:— जहाँ नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली नहीं थी, वहाँ नवकरणीय ऊर्जा हितग्राही द्वि—दिशात्मक (Bi-Directional) मापयंत्र/शुद्ध मापयंत्र (नेटमीटर) जो कि उसके परिसर में स्थापित किया जाना है, उपमोक्ता/हितग्राही के उपमोक्ता मीटर के निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। AMI Compliant शुद्ध मापयंत्र उन उपभोक्ताओं के लिए स्थापित किया जाए जिनके लिए AMI Complaint उपभोक्ता मापयंत्र लागू है।

संलग्नक-3

तकनीकी तथा अर्न्तसंयोजन आवश्यकताओं संबंधी मानदण्ड

(Technical and Interconnection requirements parameters)

सरल क्रमांक	मानदण्ड (Parameters)	संदर्भ (Reference)	आवश्यकताएं (Requirements)
1	सेवा की समग्र परिस्थितियां (Overall conditions of service)	राज्य वितरण / प्रदाय संहिता (State Distribution/Supply Code)	विद्युत प्रदाय की निबन्धन तथा शर्ती का अनुपालन करना
2	समग्र ग्रिड मानक (Overall Grid Standards)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम 2010	आवृत्ति वोल्टेज तथा सुरक्षा समन्वयन हेतु ग्रिड मानकों का अनुपालन करना
3	मीटर्स (Meters)	 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना तथा संचालन) विनियम 2006 मप्रविनिआ के समय-समय पर संशोधित यथा मीटरीकरण 	मापयंत्रों (meters) की विशिष्टताओं के अुरूप अनुपालन करना
4	सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति (Safety and Supply)	संबंधी विनियम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010	650. वोल्ट से कम तथा अधिक वोल्टेज हेतु विद्युत स्थापनाओं तथा उपस्करों के बारे में सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करना
5	हरात्मक आवश्यकताएं विद्युत धारा (Harmonic	IEEE 519 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	वोल्टेज के बारे में अर्न्तसंयोजन बिन्दु पर कुल हरात्मक विकृति (harmonic
	Requirements, Harmonic Current)	वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिये तकनीकी मानक विनियम, 2013	distortion) 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्युत धारा विकृति सीमाओं के बारे में, कुल मांग विकृति (Total Demand Distortion), उपलब्ध लघु-पथन परिपथ विद्युत धारा (available short circuit current) तथा
			मांग विद्युत धारा (demand current) के अनुपात (Isc/IL) के रूप में विभिन्न कुल मांग विकृति मूल्यों (TDD values) हेतु विभिन्न हरात्मकों के बारे में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर रहनी चाहिए।
6	संक्रामण (Synchronization)		नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली ग्रिंड आवृत्ति संक्रामण यत्र (grid frequency synchronization device) से सज्जित रहनी चाहिए। प्रत्येक बार जब विद्युत उत्पादक केन्द्र (generatory station) का विद्युत प्रणाली से संक्रामण किया जाए,

सरल क्रमांक	मानदण्ड (Parameters)	संदर्भ (Reference)	आवश्यकताएं (Requirements)
			तो अर्न्तरायोजन बिन्दु पर ±5% से अधिक घटाव/बढ़ाव (Fluctuation) नहीं होना चाहिए
7	वोल्टेज (Voltage)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिये तकनीकी मानक विनियम, 2013	वोल्टेज—संचालन विन्डो (Voltage operating Window) द्वारा कण्टक विछिन्नता (nuisance tripping) को न्यूनतम किया जाना चाहिए तथा यह सामान्य संयोजित वोल्टेज की 80% से 110% की परिचालन सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए। नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा स्वयं को ग्रिड से दो सेकण्ड की समयाविध (clearing time) के भीतर पृथक्कृत कर लिया जाना चाहिए।
8	स्फुरण (Flicker)		नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली के संचालन द्वारा IEC 61000 में दर्शाये गये मानकों से अधिक वोल्टेज स्फरण (voltage flicker (Pst) निम्न दर्शाये अनुसार निमित्त नहीं किया जाना चाहिए :
			लघु—अवधि स्फुरण (short-term flicker) : स्फुरण की परिशुद्धता जिसके मूल्यांकन लघु समय (10 मिनट) के लिये किया गया हो, <=1 होना चाहिए।
			दीर्घ—अवधि स्फुरण (long -term flicker (Plt): स्फुरण की परिशुद्धता (गंभीरता) जिसके मूल्यांकन दीर्घ समय (सामान्यतः) 2 घण्टे के लिये किया गया हो, <=0.65 होनी चाहिए।
9	आवृत्ति (Frequency)		जब वितरण प्रणाली आवृत्ति का परिचालन निर्दिष्ट परिस्थितियों के बाहर घटित हो {अर्थात् 50.5 हर्ट्ज (Hz) ऊपर की ओर)} तथा 47.5 हर्ट्ज (Hz) नीचे की ओर तो 0.2 सेकण्ड के अन्तराल (clearing time) के साथ ऊपर ले तथा निचले आवृत्ति विच्छिन्न फलन (over and under frequency functions) घटित होने चाहिए।
10	दिष्ट धारा अन्तःक्षेपण (DC injection)		किन्हीं भी परिचालन परिस्थितियों के अन्तर्गत, नवकरणीय ऊर्जा द्वारा अर्न्तसंयोजन बिन्दु पर पूर्ण निर्धारित निर्गत (full rated output) के 0.5 प्रतिशत से अधिक दिष्ट धारा विद्युत अथवा निर्धारित प्रतीपक (Inverter)

सरल क्रमांक	मानदण्ड (Parameters)	संदर्भ (Reference)	आवश्यकताएं (Requirements)
			निर्गत विद्युत धारा के 1 प्रतिशत से अधिक अन्तः क्षेपण वितरण प्रणाली में नहीं किया जाना चाहिए।
11	জর্জা কাষক (Power factor)		जब प्रतीपक (Inverter) का निर्गत 50 प्रतिशत से अधिक हो तो प्रतीपक से विद्युत निर्गत (output) का पश्चात्वर्ती ऊर्जा कारक (lagging power factor) 0. 9 से अधिक होना चाहिए
12	द्वीपन और संयोजन का विच्छेदन (Islanding and Disconnection)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिये तकनीकी मानक विनियम, 2013	नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली द्वारा आईईसी मानक (IEC Standard) के अन्तर्गत स्वयं का किसी दोष (fault), वोल्टेज (voltage) अथवा आवृत्ति (frequency) में परिवर्तनों के संबंध में निर्धारित समय के अन्तर्गत द्वीपन/ संयोजन का विच्छेदन कर दिया जाना चाहिए।
13	अतिभार तथा अतिताप (overload and overheat)		प्रतीपक (इन्वर्टर) द्वारा किसी अतिभार (overload) तथा अतिताप (overheat) पाये जाने पर स्वचालित तौर पर बन्द हो जाने की सुविधा धारित की जानी चाहिए तथा सामान्य परिस्थितियां प्रतिस्थापित होने पर पुनः प्रारंभ हो जाना चाहिए।
14	समानान्तरण यन्त्र Paralleling Device		नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली के समानान्तरण यंत्र (paralleling device) में अर्न्तसंयोजन बिन्दु (interconection point) पर समान्य वोल्टेज का 220 प्रतिशत सहन करने की क्षमता होनी चाहिए।
15	भूयोजन (Earthing)		भूजयोजन (Earthing) कार्य IS: 3043- 1986 के अनुसार इस प्रतिबंध के अन्तर्गत निष्पादित किया जाएगा, कि भूयोजन चालक (Earthing Conductor) न्यूनतम 6 वर्ग मिमी आकार की तांबे की तार होगी या 10 वर्ग मिमी आकार की उष्ण डिप जस्ताकृत इस्पात फ्लैट (hot dip galvanized steel flat) होगा।

संलग्नक−5A

छत पर स्थापित की जाने वाली ग्रिंड संयोजित शुद्ध मीटरीकरण व्यवस्था हेतु ग्रिंड संयोजन के प्रावधान तथा लघु सौर फोटोवोल्टीय प्रणाली हेतु आवेदन (श्रेणी—1 के हितग्राहियों के लिए) (Application for Net Metering and Grid Connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar photovoltaic System) for Beneficiaries of Category-I

-8	
प्रति,	
	कार्यपालन यंत्री / अधीक्षण यंत्री
	(वितरण अनुज्ञप्तिधारी का नाम
	(कार्यालय का नाम तथा पता)
दिनांक	:

मैं / हम एतद् द्वारा निम्न दर्शाये गये विवरण के अनुसार अपने विद्यमान सेवा संयोजन पर नवकरणीय ऊर्जा शुद्ध-मीटरीकरण संयोजन (Net-metering connection) तथा नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र (renewable energy plant) की स्थापना हेत आवेदन करता हं / करते हैं:

आवेदक संबंधी विवरण	
आवेदक का नाम	
आवेदक का पता	
सेवा संयोजन (Service Connection) क्रमांक (यदि हो तो)	
दूरभाष / मोबाइल क्रमांक	
ई-मेल आईडी Emal ID)	
विद्यमान संयोजन के विवरण (Existing Connection Details	
संयोजन प्रकार	एकल फेज/तीन फेज
स्वीकृत भार (किलोवाट/अश्व शक्ति/किलो वोल्ट	 (किलोवाट)
एम्पीयर) तथा संविदा मांग (किलो वोल्ट एम्पीयर)	• (अश्व शक्ति)
	•(किलोवोल्ट एम्पीयर)
श्रेणी (Category)	घरेलू / गैर-घरेलू / औद्योगिक / गैर-औद्योगिक / अन्य
	(कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)
प्रस्तावित प्रणाली के विवरण (Proposed System Details)	
प्रस्तावित नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रकार	सौर फोटोवोल्टीय (Solar PV) / अन्य कोई (कृपया
	स्पष्ट उल्लेख करें)
एसी (किलोवाट) पर प्रस्तावित नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र	
क्षमता (किलोवाट)	
प्रस्तावित संयोजन वोल्टेज	एक फेज निम्न दाब/तीन फेज निम्न दाब/उच्च दाब
प्रस्तावित नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु	
अनुमानित उपलब्ध उपयुक्त क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	
इस आवेदन के साथ संलग्न किये गये अभिलेख (Docume	
अन्तिम विद्युत देयक की प्रतिलिपि	संलग्न है/संलग्न नहीं है
भुगतान का प्रकार (अप्रत्यर्पणीय पंजीकरण शुल्क)	ऑन लाईन/नगद/मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान तथा विश्वासानुसार सही है।

खान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

आवेदक का नाम

(अथवा उसकी ओर से रैस्को / मप्र ऊर्जा विकास निगम / अथवा उसका प्रतिनिधि)

निर्देश (Instructions)

- 1. पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन प्रपत्र, आवश्यक अभिलेखों के साथ क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले संचालन तथा संधारण उप—संभागीय कार्यालय,........................विद्युत वितरण कम्पनी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 2. ऑनलाईन आवेदन म.प्र.उ.वि.नि. / विद्युत वितरण कम्पनी (MPUVN/DISCOM) की वेबसाईट पर भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- रू. 1000 की पंजीकरण शुल्क राशि नगद/मांग ड्राफ्ट (DD)/आनलाईन द्वारा देय होगी।
- 4. आवेदक को एक ऐसे प्रणाली स्थापनाकर्ता (installer) का चयन करने का परामर्श दिया जाता है जो जो कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के चैनल पार्टनर अथवा ऐसी ईकाई जिनका अनुबंध मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम से इन नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने बाबत सूचीबद्ध है।
- 5. मध्यप्रदेश विकेन्द्रीयकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016 के किण्डिका 10.4 के अनुसार 100 kW अथवा 500 kVA क्षमता से अधिक प्रणालियों हेतु विद्युत निरीक्षणालय, मप्र शासन निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्राधिकारी होगा। निरीक्षणालय यह प्रमाणित करेगा कि क्या स्थापना सुरक्षा मानकों की पूर्ति करती है।
- 6. शुद्धमाप यंत्र, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशा—िनर्देशों के अनुसार म.प्र.उ.वि.नि. / विद्युत वितरण कम्पनी (MPUVN/DISCOM) अनुमोदित ईकाई से ही खरीदा जाएगा। शुद्धमाप यंत्र के ईकाईयों की सूची म.प्र.उ.वि.नि. / विद्युत वितरण कम्पनी (MPUVN/DISCOM) की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

सामान्य निबन्धन तथा शर्ते (General Terms and Conditions) :

- 1. परिसर में निरीक्षण, मीटरीकरण तथा अन्य आवश्यक जांच-पड़ताल हेतु सुगम पहुंच होना अनिवार्य है।
- 2. आवेदक सम्पत्ति का स्वामी होना चाहिए या स्वामी संगठन/संस्था का प्राधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। यदि सम्पत्ति कम्पनी, न्यास, सहकारी संस्थाओं/भागीदारी फर्म के नाम से हो तो पत्रव्यवहार (Correspendence), कागजी कार्यवाही (Paper work), विभिन्न अनुबंधों (करारों) के निष्पादन आदि के लिये प्राधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को संगठन के प्रबंधन की ओर से प्राधिकृत किया जाना चाहिए। भागीदारी फर्मों के प्रकरण में, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भागीदारों में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, जिसे अन्य भागीदारों द्वारा लिखित अनुमित प्रदान की गई हो।
- 3. प्राधिकार प्रमाण-पत्र के (authorisation certificate) बारे में सुझाये गये प्ररूपकों वैबसाईट या उपभोक्ता सूचनानियमावली (मैनुअल) (Consumer Information Manual) से डाऊनलोड किया जा सकता है। इस प्राधिकार प्रमाण-पत्र को प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित अर्न्तसंयोजन अनुबन्ध (Interconnection Agreement) प्रस्तुत करते समय विद्युत वितरण कम्पनी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 4. पंजीकृत आवेदन अहस्तान्तरणीय है।
- 5. आवेदक तथा नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापनाकर्ता के मध्य संविदा से उत्पन्न होने वाले किन्हीं कानूनी विवादों के लिये विद्युत वितरण कम्पनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- 6. नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता संयोजनों की अनुमित प्रदान करने के बारे में प्रस्तावित क्षमता मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के प्रावधानों से संरेखित होगी।

दिनांक:

संलग्नक-5B

छत पर स्थापित की जाने वाली ग्रिंड संयोजित व्यवस्था हेतु ग्रिंड संयोजन के प्रावधान तथा लघु सौर फोटोवोल्टीय प्रणाली हेतु आवेदन (श्रेणी—1 के आवेदकों को छोड़कर) (Application for Net Metering and Grid Connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar photovoltaic System) for Beneficiaries other than Category - I

प्रति, कार्यपालन यंत्री / अधीक्षण यंत्री(वितरण अनुज्ञप्तिधारी का नाम (कार्यालय का नाम तथा पता)

मैं / हम एतद् द्वारा निम्न दर्शाये गये विवरण के अनुसार अपने विद्यमान सेवा संयोजन पर प्रस्तावित नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र (renewable energy plant) की स्थापना हेतु आवेदन करता हूं / करते हैं :

नवकरणीय ऊर्जा संयत्र (renewable energy plant) की स्थापना हेतु आवदन करता हूं/ करत है :				
आवेदक संबंधी विवरण				
आवेदक का नाम				
आवेदक का पता				
सेवा संयोजन (Service Connection) क्रमांक (यदि हो तो)				
दूरभाष / मोबाइल क्रमांक				
ई-मेल आईडी (E-mail ID)				
विद्यमान संयोजन के विवरण (Existing Connection Detai	ls)			
संयोजन प्रकार	एकल फेज / तीन फेज			
रवीकृत भार (किलोवाट/अश्व शक्ति/किलो वोल्ट	•(किलोवाट)			
एम्पीयर) तथा संविदा मांग (किलो वोल्ट एम्पीयर)	•(अश्व शक्ति)			
	 (किलोवोल्ट एम्पीयर) 			
श्रेणी (Category)	घरेलू / गैर-घरेलू / औद्योगिक / गैर-औद्योगिक / अन्य			
	(कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)			
प्रस्तावित प्रणाली के विवरण (Proposed System Details)				
प्रस्तावित नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रकार	सीर फोटोवोल्टीय (Solar PV)/अन्य कोई (कृपया			
	स्पष्ट उल्लेख करें)			
एसी (किलोवाट) पर प्रस्तावित नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र				
क्षमता (किलोवाट)				
प्रस्तावित संयोजन वोल्टेज	एक फेज निम्न दाब/तीन फेज निम्न दाब/उच्च दाब			
प्रस्तावित नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु				
अनुमानित उपलब्ध उपयुक्त क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	<u> </u>			
इस आवेदन के साथ संलग्न किये गये अभिलेख (Docum	nents enclosed with this application)			
अन्तिम विद्युत देयक की प्रतिलिपि	संलग्न है/संलग्न नहीं है			
भुगतान का प्रकार (अप्रत्यर्पणीय पंजीकरण शुल्क)	ऑन लाईन/नगद/मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा			
<u> </u>				

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान तथा विश्वासानुसार सही है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

आवेदक का नाम

(अथवा उसकी ओर से रैस्को / मप्र ऊर्जा विकास निगम / अथवा उसका प्रतिनिधि)

निर्देश (Instructions)

- 1. पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन प्रपत्र, आवश्यक अभिलेखों के साथ विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 2. ऑनलाईन आवेदन म.प्र.ज.वि.नि. / विद्युत वितरण कम्पनी (MPUVN/DISCOM) की वेबसाईट पर भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- उ. मध्यप्रदेश विकेन्द्रीयकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016 के किण्डिका 10.4 के अनुसार 100 kW अथवा 500 kVA क्षमता से अधिक प्रणालियों हेतु विद्युत निरीक्षणालय, मप्र शासन निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्राधिकारी होगा। निरीक्षणालय यह प्रमाणित करेगा कि क्या स्थापना सुरक्षा मानकों की पूर्ति करती है।
- 4.. इंजेक्शन के बिन्दु पर स्थापित किए जाने वाला अंर्तफलक मापयंत्र (Interface Meter) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के मापदण्ड एवं सुसंगत खुली पहुँच (Open Access) विनियमन के अनुरूप हो।

सामान्य निबन्धन तथा शर्ते (General Terms and Conditions):

- 1. परिसर में निरीक्षण, मीटरीकरण तथा अन्य आवश्यक जांच-पड़ताल हेतु सुगम पहुंच होना अनिवार्य है।
- 2. आवेदक सम्पत्ति का स्वामी होना चाहिए या स्वामी संगठन/संस्था का प्राधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। यदि सम्पत्ति कम्पनी, न्यास, सहकारी संस्थाओं/भागीदारी फर्म के नाम से हो तो पत्रव्यवहार (Correspondence), कागजी कार्यवाही (Paper work), विभिन्न अनुबंधों (करारों) के निष्पादन आदि के लिये प्राधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को संगठन के प्रबंधन की ओर से प्राधिकृत किया जाना चाहिए। भागीदारी फर्मों के प्रकरण में, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भागीदारों में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, जिसे अन्य भागीदारों द्वारा लिखित अनुमित प्रदान की गई हो।
- 3. प्राधिकार प्रमाण—पत्र के (authorisation certificate) बारे में सुझाये गये प्ररूपकों वैबसाईट या उपभोक्ता सूचनानियमावली (मैनुअल) (Consumer Information Manual) से डाऊनलोड किया जा सकता है। इस प्राधिकार प्रमाण—पत्र को प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित अर्न्तसंयोजन अनुबन्ध (Interconnection Agreement) प्रस्तुत करते समय विद्युत वितरण कम्पनी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- पंजीकृत आवेदन अहस्तान्तरणीय है।
- 5. आवेदक तथा नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापनाकर्ता के मध्य संविदा से उत्पन्न होने वाले किन्हीं कानूनी विवादों के लिये विद्युत वितरण कम्पनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- 6. नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता संयोजनों की अनुमति प्रदान करने के बारे में प्रस्तावित क्षमता मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के प्रावधानों से संरेखित होगी।

संलग्नक−5C

श्रेणी—III के अंतर्गत छत पर स्थापित की जाने वाली ग्रिड संयोजित व्यवस्था हेतु ग्रिड संयोजन के प्रावधान तथा लघु सौर फोटोवोल्टीय प्रणाली हेतु सूचना

Intimation for Grid Connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar photovoltaic System for Beneficiaries of Category - III

प्रति,

कार्यपालन यंत्री / अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम (कार्यालय का नाम तथा पता)

दिनांक :

मैं / हम एतद् द्वारा निम्न दर्शाये गये विवरण के अनुसार अपने विद्यमान सेवा संयोजन पर नवकरणीय कर्जा संयंत्र (renewable energy plant) की स्थापना हेतु आवेदन करता हूं / करते हैं :

जजा स्थेत्र (renewable energy plant) पर रवायना वर्ष जान	
आवेदक संबंधी विवरण	
आवेदक का नाम	
आवेदक का पता	
सेवा संयोजन (Service Connection) क्रमांक (यदि हो तो)	
दूरभाष / मोबाइल क्रमांक	
ई-मेल आईडी E-mail ID)	
विद्यमान संयोजन के विवरण (Existing Connection Detai	ls)
संयोजन प्रकार	एकल फेज/तीन फेज
स्वीकृत भार (किलोवाट/अश्व शक्ति/किलो वोल्ट	•(किलोवाट)
एम्पीयर) तथा संविदा मांग (किलो वोल्ट एम्पीयर)	•(अश्व शक्ति)
	 (किलोवोल्ट एम्पीयर)
श्रेणी (Category)	घरेलू / गैर-घरेलू / औद्योगिक / गैर-औद्योगिक / अन्य
	(कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)
प्रस्तावित प्रणाली के विवरण (Proposed System Details)	
प्रस्तावित नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली का प्रकार	सीर फोटोवोल्टीय (Solar PV)/अन्य कोई (कृपया
	स्पष्ट उल्लेख करें)
एसी (किलोवाट) पर प्रस्तावित नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र	
क्षमता (किलोवाट)	
प्रस्तावित संयोजन वोल्टेज	एक फेज निम्न दाब/तीन फेज निम्न दाब/उच्च दाब
प्रस्तावित नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु	
अनुमानित उपलब्ध उपयुक्त क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	
इस आवेदन के साथ संलग्न किये गये अभिलेख (Docum	ents enclosed with this application)
अन्तिम विद्युत देयक की प्रतिलिपि	संलग्न है / संलग्न नहीं है
भुगतान का प्रकार (अप्रत्यर्पणीय पंजीकरण शुल्क)	ऑन लाईन/नगद/मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा
	The state of the s

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान तथा विश्वासानुसार सही है।

स्थान:

हस्ताक्षर

दिनांक:

आवेदक का नाम

(अथवा उसकी ओर से रैस्को / मप्र ऊर्जा विकास निगम / अथवा उसका प्रतिनिधि)

निर्देश (Instructions)

- पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन प्रपत्र, आवश्यक अभिलेखों के साथ विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यपालन यंत्री / अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 2. ऑनलाईन आवेदन म.प्र.उ.वि.नि. (MPUVN) की वेबसाईट पर भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- 3. मध्यप्रदेश विकेन्द्रीयकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016 के कण्डिका 10.4 के अनुसार 100 kW अथवा 500 kVA क्षमता से अधिक प्रणालियों हेतु विद्युत निरीक्षणालय, मप्र शासन निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्राधिकारी होगा। निरीक्षणालय यह प्रमाणित करेगा कि क्या स्थापना सुरक्षा मानकों की पूर्ति करती है।

सामान्य निबन्धन तथा शर्ते (General Terms and Conditions):

- 1. परिसर में निरीक्षण, मीटरीकरण तथा अन्य आवश्यक जांच-पड़ताल हेतु सुगम पहुंच होना अनिवार्य है।
- 2. आवेदक सम्पत्ति का स्वामी होना चाहिए या स्वामी संगठन/संस्था का प्राधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। यदि सम्पत्ति कम्पनी, न्यास, सहकारी संस्थाओं/भागीदारी फर्म के नाम से हो तो पत्रव्यवहार (Correspondence), कागजी कार्यवाही (Paper work), विभिन्न अनुबंधों (करारों) के निष्पादन आदि के लिये प्राधिकार किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को संगठन के प्रबंधन की ओर से प्राधिकृत किया जाना चाहिए। भागीदारी फर्मों के प्रकरण में, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भागीदारों में कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, जिसे अन्य भागीदारों द्वारा लिखित अनुमति प्रदान की गई हो।
- 3. प्राधिकार प्रमाण-पत्र के (authorisation certificate) बारे में सुझाये गये प्ररूपकों वैबसाईट या उपभोक्ता सूचनानियमावली (मैनुअल) (Consumer Information Manual) से डाऊनलोड किया जा सकता है। इस प्राधिकार प्रमाण-पत्र को प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित अर्न्तसंयोजन अनुबन्ध (Interconnection Agreement) प्रस्तुत करते समय विद्युत वितरण कम्पनी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 4. पंजीकृत आवेदन अहस्तान्तरणीय है।
- 5. आवेदक तथा नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापनाकर्ता के मध्य संविदा से उत्पन्न होने वाले किन्हीं कानूनी विवादों के लिये विद्युत वितरण कम्पनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- 6. नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता संयोजनों की अनुमित प्रदान करने के बारे में प्रस्तावित क्षमता मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के प्रावधानों से संरेखित होगी।

संलग्नक-7A

शुद्ध मीटरीकरण नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की ग्रिड संयोजन व्यवस्था हेतु आवेदन के संबंध में अनुमोदन—पत्र

(Approval Letter with respect to the Application for Net Metered Renewable Energy System)

दिनांक :
प्रति,
(उपभोक्ता आवेदक का नाम) मेसर्स / श्री / सुश्री
संदर्भ : आपका आवेदन क्रमांक दिनांक दिनांक
हमारा पंजीकरण क्रमांक दिनांक दिनांक
आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन के संबंध में आपके परिसर मेंकिलोवाट नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का अनुमोदन निम्न निबन्धन तथा शर्तों के अन्तर्गत किया जाता है।
 आपको नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना हेतु अपनी अभिरुचि के सूचीबद्ध प्रणाली स्थापनाकत (System Installer) के चयन का परामर्श दिया जाता है। स्थापनाकर्ता को नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली वे

- आपको नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना हेतु अपनी अभिरूचि के सूचीबद्ध प्रणाली स्थापनाकर्ता (System Installer) के चयन का परामर्श दिया जाता है। स्थापनाकर्ता को नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली के रूपांकन, प्रदाय तथा स्थापना का पूर्व अनुभव होना चाहिए। भारत सरकार, नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा ग्रिड—संयोजित फोटो वोल्टीय प्रणालियों के पंजीबद्ध स्थापनाकर्ताओं की सूची, स्थापनाकर्ता को चिन्हांकित करने का एवं उत्तम संदर्भ बिन्दु प्रदान करती है।
- 2. नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली के समस्त घटकों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (IS) / आईईसी (IEC) मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिए। मानकों की सूची जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना अनिवार्य है, इस अनुमोदन पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
- 3. प्रस्तावित स्थापना के कारण यदि आपको अपने परिसर में कोई परिवर्तन किये जाने आवश्यक हों तो इनका निष्पादन आपके द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।
- 4. प्रणाली का ग्रिड संयोजन (grid connectivity) दिनांक 14.10.2015 को अधिसूचित तथा समय—समय पर यथा संशोधित मप्रविनिआ शुद्ध मापन विनियम 2015 के अनुसार किया जाएगा तथा यह नवकरणीय ऊर्जा के शुद्ध मीटरीकृत अनुप्रयोगों के बारे में मध्यप्रदेश विकेन्द्रीयकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
- 5. शुद्ध मापयंत्र (नेट मीटर) का क्रय विद्युत वितरण कम्पनी / मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अनुमोदित विक्रेताओं (vendors) से मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमोदित मानकों तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार) किया जाएगा तथा इसकी मापयंत्र बिन्दु (meter point) पर स्थापना विद्युत वितरण कम्पनी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रयोगशाला से इसका परीक्षण करा कर जिसकी लागत पात्र उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।
- 6. जब नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता 250 किलोवाट शुद्ध (kWp) से अधिक हो, तो आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से जांच मापयंत्र (Check meters) उपलब्ध कराये जाएंगे।
- 7. रथापित की गई प्रणाली के समस्त सुरक्षा उपाय तथा मानक मध्यप्रदेश विद्युत नियामक

आयोग / केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं तथा इन विनियमों में संदर्भित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

- नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के बाद कृपया निम्न अभिलेख प्रस्तुत करें :
 - > प्रदत्त प्रपन्न के अनुसार कार्य समापन प्रतिवेदन (Work Completion Report)
 - > विद्युत वितरण कम्पनी की प्रयोगशाला द्वारा जारी शुद्ध मापयंत्र (नेट मीटर) का परीक्षण प्रमाण-पत्र
 - मध्यप्रदेश शासन, विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन (राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार) जहां कहीं यह लागू हो, अर्थात् मध्यप्रदेश विकेन्द्रीयकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016 की कंडिका 10.4 के अनुसार 100 kW तक की क्षमता या 500 kVA की क्षमता जो भी लागू हो।
 - > विद्युत वितरण कंपनी के साथ रू. 500 / की राशि के न्यायिकेतर मुद्रांक (non-judicial stamp) पर निष्पादित शुद्ध मीटरीकरण अर्न्तसंयोजन अनुबंध की (Net Metering Interconnection Agreement) की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि।

यह अनुमोदन—पत्र जारी होने की तिथि से 180 दिवस की अविध हेतु वैध है तथा पात्र उपमोक्ता द्वारा नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली को इस कथित अविध के भीतर ही अनिवार्य रूप से क्रियाशील करना होगा। प्रणाली की स्थापना की प्रगति का अनुश्रवण मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्राधिकृत अधिकारी/अभिकरण (एजेंसी) द्वारा किया जाएगा तथा यदि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा कार्य की प्रगति सन्तोषजनक स्तर की नहीं पाई जाती है तो मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, विद्युत वितरण कम्पनी को पात्र उपभोक्ता को जारी किये गये अनुमोदन को निरस्त करने बाबत अनुशंसा कर सकेगा।

अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

दिनांक

मुद्रा

संलग्न : परिशिष्ट –1, परिशिष्ट–2, परिशिष्ट –3 तथा परिशिष्ट–4

6.

के अनुरूप होने चाहिए।

संलग्नक-7B

श्रेणी—II के अंतर्गत नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली हेतु आवेदन के सम्बन्ध में उपभोक्ता अनुमोदन—पत्र (Approval Letter with respect to the Application for Net Metered Renewable Energy System under category-II)

category-11)
दिनांक :
प्रति,
(उपभोक्ता आवेदक का नाम) मेसर्स / श्री / सुश्री
संदर्भ :- आपका आवेदन क्रमांक दिनांक दिनांक
हमारा पंजीकरण क्रमांक दिनांक
आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन के संबंध में आपके परिसर में किलोवाट नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का अनुमोदन निम्न निबन्धन तथा शर्तों के अन्तर्गत किया जाता है।
अपको नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना हेतु अपनी अभिरूचि के सूचीबद्ध प्रणाली स्थापनाकत (System Installer) के चयन का परामर्श दिया जाता है। स्थापनाकर्ता को नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली करणांकन, प्रदाय तथा स्थापना का पूर्व अनुभव होना चाहिए। भारत सरकार, नवीन तथा नवकरणी ऊर्जा मंत्रालय / मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा ग्रिड—संयोजित फोटो वोल्टीय प्रणालिय के पंजीबद्ध स्थापनाकर्ताओं की सूची, स्थापनाकर्ता को चिन्हांकित करने का एवं उत्तम संदर्भ बिन्प्रदान करती है।
नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली के समस्त घटकों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (IS) / आईईसी (IEC) मानव का अनुपालन किया जाना चाहिए। मानकों की सूची जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जान अनिवार्य है, इस अनुमोदन पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
3. प्रस्तावित स्थापना के कारण यदि आपको अपने परिसर में कोई परिवर्तन किये जाने आवश्यक हों र इनका निष्पादन आपके द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।
4. प्रणाली का ग्रिड संयोजन (grid connectivity) मध्यप्रदेश विकेन्द्रीयकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016 व आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
5. जब नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता 250 किलोवाट शुद्ध (kWp) से अधिक हो, तो आवेदक द्वा अनिवार्य रूप से जांच मापयंत्र (Check meters) उपलब्ध कराये जाएंगे।

- 7. नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के बाद कृपया निम्न अभिलेख प्रस्तुत करें :
 - > प्रदत्त प्रपन्न के अनुसार कार्य समापन प्रतिवेदन (Work Completion Report)
 - > विद्युत वितरण कम्पनी की प्रयोगशाला द्वारा जारी शुद्ध मापयंत्र (नेट मीटर) का परीक्षण प्रमाण-पत्र

स्थापित की गई प्रणाली के समस्त सुरक्षा उपाय तथा मानक मध्यप्रदेश विद्युत नियामक

आयोग / केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं तथा इन विनियमों में संदर्भित मानकों

- मध्यप्रदेश शासन, विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन (राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार) जहां कहीं यह लागू हो, अर्थात् मध्यप्रदेश विकेन्द्रीयकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016 की कंडिका 10.4 के अनुसार 100 kW तक की क्षमता या 500 kVA की क्षमता जो भी लागू हो।
- ➤ विद्युत वितरण कंपनी के साथ रू. 500 / की राशि के न्यायिकेतर मुद्रांक (non-judicial stamp) पर निष्पादित शुद्ध मीटरीकरण अर्न्तसंयोजन अनुबंध की (Net Metering Interconnection Agreement) की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि।

यह अनुमोदन—पत्र जारी होने की तिथि से 180 दिवस की अवधि हेतु वैध है तथा पात्र उपभोक्ता द्वारा नवकरणीय ऊर्जा प्रणाली को इस कथित अवधि के भीतर ही अनिवार्य रूप से क्रियाशील करना होगा। प्रणाली की स्थापना की प्रगति का अनुश्रवण मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्राधिकृत अधिकारी/अभिकरण (एजेंसी) द्वारा किया जाएगा तथा यदि मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा कार्य की प्रगति सन्तोषजनक स्तर की नहीं पाई जाती है तो मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, विद्युत वितरण कम्पनी को पात्र उपभोक्ता को जारी किये गये अनुमोदन को निरस्त करने बाबत अनुशंसा कर सकेगा।

अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

दिनांक

मुद्रा

Amendment 1:

Page 64, Clause 2 (b) - English Version

"Consumer" means any person who is supplied electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Act or any other law for the time being in force and includes any person whose Premises are, for the time being, connected for the purpose of receiving electricity with the works of a Distribution Licensee, the Government or such other person, as the case may be. Users who have merely wheeling/ supply arrangements with the licensee, or Users with off-grid loads are also covered as Consumers under this policy"

To be replaced with

"Consumer" means any person who is **seeking electricity or** is supplied electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Act or any other law for the time being in force and includes any person whose Premises are, for the time being, connected for the purpose of receiving electricity with the works of a Distribution Licensee, the Government or such other person, as the case may be. Users who have merely wheeling/ supply arrangements with the licensee, or Users with off-grid loads are also covered as Consumers under this policy"

Amendment 2:

Page 72, Clause 6.3 - English Version

"The policy shall be applicable to all RE Beneficiaries, in whose Premises off—grid or grid connected RE Systems are installed, as defined in para 1.9, up to capacity of 2MW of RE system, subject to MPERC Regulations in this, regard."

To be replaced with:

"The policy shall be applicable to all RE Beneficiaries, in whose Premises off—grid or grid connected RE Systems are installed, under one or more categories, as defined in para 1.9, up to capacity of 2MW of RE system, subject to MPERC Regulations in this regard. Further, additional RE systems can be set up for captive use or sale of power to 3rd party through open access under 'Policy for implementation of solar power based projects in Madhya Pradesh, 2012' without any restriction on capacity".

Amendment 3:

Page 73, Clause 6.5 - English Version

"Bulk Consumers, who are single point connection Consumers, are also eligible under this policy."

To be replaced with:

"Bulk Consumers, who are single point connection consumers as well as end users under such single point connection consumers, are also eligible under this policy. For such end users, such single point connection consumer shall fulfil its role as defined for a distribution licensee under this policy."

Amendment 4:

Page 73, Clause 6.8 - English Version

"As defined in para1.9 above, RE Systems under this policy can operate in the following ways"

To be replaced with:

"As defined in para1.9 above, RE Systems under this policy can operate in the following categories or their combinations"

<u>Amendment 5:</u>

Page 80, Clause 10.4 - English Version

"In compliance with Rule 47(A) of Indian Electricity Rules, 1956 as applicable in Madhya Pradesh, installation of Grid Connected RE System up to 10 kW capacity is exempt from Chief Electrical Inspector to Government (CEIG) approval. In light of this, Distribution licensees may inspect Grid Connected RE System up to 10 kW capacity. However, such exemption shall be as per prevailing notifications/guidelines of GoMP/MPERC/CEA."

To be replaced with:

"In compliance with section 162 of Electricity Act, 2003, and as per notification no. 3366/F-5-6/2016 dated 02 June, 2017 of Department of Energy, Madhya Pradesh, installation of Grid Connected RE System up to 100 kW capacity is exempt from Chief Electrical Inspector to Government (CEIG) approval. Further, Grid Connected RE System up to 500 kVA capacity as per MOP notification no S.O. 1779E, 16 May 2016 would be exempt from obtaining approval from Chief Electrical Inspector to Government (CEIG), in renewable energy systems:

- a. installed by a company wholly or partly owned by the Central Government; or
- b. to supply electricity to any mines, oil-fields, railways, national highways, airports, telegraphs, broadcasting stations, any works of defence, dockyard, nuclear power installations; or

c. any works or electric installation belonging to Central Government or under its control;"

Amendment 6:

Page 79, Clause 10.1, Paragraph 2 - English Version

"In case an HT Consumer(connected at 11kV & above), subject to Regulations in this regard, installs Net Metered RE Based System, it could inter-connect such RE System at its LT side at multiple locations. However, the Net Meter shall be installed on HT side of the transformer. Typical Single Line Diagrams (SLDs) for different voltage levels for interconnection of the Net Metered RE System with the network of the Distribution licensee are shown at Annexure—IV."

To be replaced with:

"In case an HT Consumer(connected at 11kV & above), subject to Regulations in this regard, installs Net Metered RE Based System, it could inter-connect such RE System at lower voltage levels and multiple injection points because the Consumer is also consuming power at such lower voltage levels. However, the Net Meter shall be installed on HT side of the transformer. Typical Single Line Diagrams (SLDs) for different voltage levels for interconnection of the Net Metered RE System with the network of the Distribution licensee are shown at Annexure— IV."

Amendment 7:

Page 87, Clause 19.1 (L) - English Version

"RE System up to 10 kW capacity is exempt from CEIG approval, as stated in Para 10.4 of this policy."

To be replaced with:

"RE System up to 100 kW capacity or 500 kVA capacity, as the case may be, is exempt from CEIG approval, as stated in Para 10.4 of this policy."

Amendment 8:

Page 88, Clause 19.2 (K) - English Version

"RE System up to 10 kW capacity is exempt from CEIG approval, as stated in Para 10.4 of this policy."

To be replaced with:

"RE System up to 100 kW capacity or 500 kVA capacity, as the case may be, is exempt from CEIG approval, as stated in Para 10.4 of this policy."

Amendment 9:

Page 89, Clause 20 - English Version

"All those RE Beneficiaries, who have registered their RE projects with New and Renewable Energy Department, GoMP under existing solar/wind/biomass policies before notification of

this policy, shall be eligible to migrate from existing RE-policies to this policy, subject to fulfilment of criteria as indicated in this policy."

To be replaced with:

"All those RE Beneficiaries, having operational RE projects at the time of notification of this policy, or who have registered their RE projects under prevailing solar/ wind/biomass policies of GoMP before notification of this policy, shall be eligible to migrate from such policies to this policy, subject to fulfilment of criteria as indicated in this policy."

Amendment 10:

Annexure I (Standards for Generation Meter) of the notified policy is replaced with revised "Standards for Generation Meter" attached as Annexure I to this amendment.

Amendment 11:

Annexure I (Standards for Net Meter) of the notified policy is replaced with revised "Standards for Net Meter" attached as Annexure II to this amendment.

Amendment 12:

Annexure III (Technical and interconnection requirements Parameters) of the notified policy has been appended with serial no. 7 to 15, the added provisions are attached as Annexure III to this amendment.

Amendment 13:

Annexure VA (Application for Net Metering and Grid Connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar Photovoltaic System for beneficiaries of Category-I) of the notified policy is replaced with Annexure VA of this amendment.

Amendment 14:

Annexure VB (Application for Net Metering and Grid Connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar Photovoltaic System for beneficiaries other than Category-I) of the notified policy is replaced with Annexure VB(Application for Grid Connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar Photovoltaic System for beneficiaries of Category-II) of this amendment.

Amendment 15:

Annexure VC (Intimation for Grid Connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar Photovoltaic System for beneficiaries of Category-III) has been added to the notified policy and it is attached as Annexure VC of this amendment.

<u>Amendment 16:</u>

Annexure VIIA (Consumer Approval Letter with respect to the Application for Net Meteringand Grid Connectivity of Grid Connected renewable energy System) of the notified policy is replaced with Annexure VIIA(Approval Letter with respect toapplication for Net Metered renewable energy System) of this amendment.

Amendment 17:

Annexure VIIB (Consumer Approval Letter with respect to the Application for renewable energy System under category II) has been added to the notified policy and it is attached as Annexure VIIB(Approval Letter with respect to the application for renewable energy System under category II) of this amendment.

Annexure - I Standards for Generation Meter

S. No.	Technical Parameters	eters level			Connectivity above 415 V voltage level	DC Generation meter
		Whole Current Meters		CT Operated	CT-PT Operated	
1	Applicability	Renewable energy plant capacity up- to 4 kW*	Renewable energy plant capacity above 4 kW and up to 15 kW*	Renewable energy Plant Capacity above 15 kW and up to 112 kW	HT/EHV supply	Renewable energy plant with storage.
2	Number of phases and wires	Single Phase, 2 Wire	Three Phase, 4 Wire	Three Phase, 4 Wire	Three Phase, 4 Wire	Single Phase, 2 Wire
3	Measurement (s)	kWh	kWh	kWh, kVAh, kVA, PF	kWh, kVAh, kVA, PF, Max. demand	Voltage (V) Current (I) Power (kW) Energy (kWh)
4	Standard Voltage and frequency	240 V, 50±5%	3ф240 V (P-N), 415 V (P-P), 50 Hz±5%	3ф240 V (P- N), 415 V (P- P) 50 Hz±5%	3ф63.5 V (P- N), 110 V (P-P) 50 Hz±5%	±0.5% of Nominal value
5	Current Rating	5-30 Amp	5-30/10-60 Amp	5 Amp	5 Amp for 415 V < Voltage level <= 132 KV; 1 Amp for Voltage level > 132 KV.	±0.5% of Nominal value
6	Accuracy class	1.0	1.0	0.5S	0.5\$	1.0S
· 7	Indian Standard or IEC to which conforming	IS 13779- 1999	IS 13779- 1999	IS 14697	IS 14697	IEC 61326-2012, IEC 61000-4-3, IEC 61010—1- 2010, IEC 60529
8	Import-export feature	Forward import	Forward import	Forward Import	Forward import	Forward import
9	Communication Port/ Protocol	Optical/ DLMS	Optical, RS-232/ DLMS	Optical, RS-232/ DLMS	Optical, RS- 232/ DLMS	RS 485 Modbus protocol

^{*} Renewable Energy plants up to 15 kW, Normative CUF, to be decided jointly by New and Renewable Energy Department and Energy Department, shall be relied upon to ascertain the generation by a RE System under Net Metering arrangement. Further, for Renewable Energy plants up to 15 kW, installation of Generation Meter shall not be necessary and built-in meter inside the PCU/inverter would suffice.

Annexure - II Standards for Net Meter

S. No.	Technical Parameters	Connectivity at 415 V & below voltage level			Connectivity above 415 V voltage level	
			rent Meters	CT Operated	CT-PT Operated	
1	Applicability	Up to 5 kW Connected load	Above 5 kW and upto 18.65 kW connected load	Above 18.65 kW and upto 112 kW connected load	HT/EHV supply	
2	Number of phases and wires	Single Phase, 2 Wire	Three Phase, 4 Wire	Three Phase, 4 Wire	Three Phase, 4 Wire	
3	Measurement (s)	kWh	kWh	kWh, kVAh, kVA, PF	kWh, kVAh, kVA, PF, Max. demand	
4	Standard Voltage and frequency	240 V, 50 Hz±5%	3ф240 V (P- N), 415 V (P- P), 50 Hz±5%	3ф240 V (P- N), 415 V (P- P) 50 Hz±5%	3\$\phi 63.5 V (P-N), 110 V (P-P) 50±5%	
5	Current Rating	5-30	5-30/10-60	5 Amp	5 Amp for 415 V < Voltage level <= 132 KV; 1 Amp for Voltage level > 132 KV.	
6	Accuracy class	1.0	1.0	0.5S	o.5S for 415 V < Voltage level <= 132 KV; o.2S for Voltage level > 132 KV.	
7	Indian Standard or IEC to which conforming	IS 13779- 1999	IS 13779- 1999	IS 14697	IS 14697	
8	Import-export feature	Import & Export	Import & Export	Import & Export	Import & Export	
9	Communication Port/ Protocol	Optical/ DLMS	Optical, RS-232/ DLMS	Optical, RS-232/ DLMS	Optical, RS-232/ DLMS	

Note: The bidirectional meter/Net Meter to be installed at RE Beneficiary premise should comply with the standards specified for the consumer meter of the consumer/RE Beneficiary had the RE system not been in place. Specifically, AMI complaint net-meters to be installed for only those consumers in whose consumer category AMI compliant utility meters are applicable.

Annexure III

Technical and interconnection requirements Parameters

S. No	Parameters	Reference	Requirements
	Overall	State Distribution /	Compliance with the terms and
1.	conditions of	Supply Code	conditions of supply.
	service		
	Overall Grid	Central Electricity	Compliance with Grid Standards
2.	Standards	Authority (Grid Standard)	as regards frequency, voltage and Protection coordination.
		Regulations 2010	
		Central Electricity	Compliance with the specifications of the meters.
		Authority (Installation	specifications of the fleters.
	7.6.4	& Operation of Meters) Regulations, 2006	
3⋅	Meters	• MPERC Metering	
		Regulations as amended	
		from time to time	
		Central Electricity	Compliance with safety
-		Authority (Measures of	provisions for electrical
4.	Safety and supply	Safety and Electricity	installations and apparatus of
4.		Supply) Regulations, 2010	voltage below and above 650
			volts.
		• IEEE 519	The Total Harmonic Distortion
		• CEA (Technical	(THD) for voltage at the
		Standards for	interconnection point should not
		Connectivity of the	exceed 5%. For the current
	Harmonic	Distributed Generation	distortion limits, the Total
5.	Requirements,	Resources) Regulations,	Demand Distortion (TDD) in
3.	Harmonic	2013	terms of ratio of available short
	Current		circuit current to the demand current (Isc/IL) should remain
			within limits specified for
			various harmonics for different
			TDD values.
			Renewable Energy system must
			be equipped with a grid
			frequency synchronization
			device. Every time the generating
6.	Synchronization		station is synchronized to the
			electricity system, it shall not
	,		cause voltage fluctuation greater
			than +/- 5% at point of inter
			connection.

7. Voltage CEA (Technical Stand for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulation 2013	tripping and should be within operating range of 80% to 110%
for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulation	tripping and should be within operating range of 80% to 110%
7. Voltage Distributed Generation Resources) Regulation	on operating range of 80% to 110%
7. Voltage Resources) Regulation	, -
	1 0,1 1 1
2013	
	voltage. The Renewable Energy
	system must isolate itself from
	the grid within a clearing time of
	2 seconds.
	Operation of Renewable Energy
	system should not cause voltage
	flicker in excess of the limits
	stated in IEC 61000 standards
	as follows:
	Short-term flicker (Pst): The
8. Flicker	flicker severity evaluated over a
	short period of time (10 minutes)
	should be <=1.
·	Long-term flicker (Plt): The
	flicker severity evaluated over a
	long period of time (typically 2
	hours) should be <=0.65.
	There should be over and under
	frequency trip functions with a
	clearing time of 0.2 seconds,
9. Frequency	when the Distribution system
9. Frequency	frequency deviates outside the
	specified Conditions (50.5 Hz on
	upper side and 47.5 Hz on lower
	side).
	Renewable Energy should not
	inject DC power more than 0.5%
	of full rated output at the
10. DC injection	interconnection point or 1% of
	rated inverter output current
	into distribution system under
	any operating conditions.
CEA (Technical Stan	-
for Connectivity of the	1 —
11. Power Factor Distributed Generation	_
Resources) Regulation	
2013	greater than 0.9.
Islanding and	The Renewable Energy system
Disconnection	must island/ disconnect itself

13.	Overload and Overheat	within IEC standard Stipulated time in the event of fault, voltage or frequency variations. The inverter should have the facility to automatically switch off in case of overload or overheating and should restart when normal conditions are restored.
14.	Paralleling Device	Paralleling device of Renewable Energy system shall be capable of withstanding 220% of the normal voltage at the interconnection point.
15.	Earthing	Earthing shall be done in accordance IS 3043-1986, provided that Earthing conductors shall have a minimum size of 6 mm² copper wire or 10 mm² aluminum wire or 3 mm X 70 mm hot dip galvanized steel flat.

Annexure VA

<u>Application for Net Metering and Grid Connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar Photovoltaic System for beneficiaries of Category-I</u>

To:	
The Executive Engineer / TheSuperin	ntendent Engineer
(Distribution Licens	ee Name)
(Name / Address of office)	
Date:	
	ble energy net-metering connection at the existing service plant of which details are given below.
Applicant Details	·
Name of applicant	
Address of applicant	
Service Connection Number	
(If available)	
Telephone/Mobile number(s)	
Email ID	·
Existing Connection Details	
Connection Type	Single Phase / Three Phase
Sanction Load (KW/HP/KVA) and	•KW

Contract Demand (KVA)	•HP		
	•KVA		
Category	Domestic / Non-Domestic / Industrial / Non- Industrial /		
	Others (please specify)		
Proposed System Details			
Type of proposed Renewable Energy system	Solar PV / Any Other (please specify)		
Proposed Renewable Energy plant capacity at AC (Kilo Watts)			
Proposed Connectivity Voltage	Single Phase LT / Three Phase LT / HT		
Approximate suitable area (Sq. Mt) available for installation of proposed Renewable Energy plant			
Documents enclosed with this	application		
Copy of latest electricity bill	Yes / No		
Mode of payment (Non-	Online/ Cash/ DD etc.		
refundable registration fees)			

Certificate: The above stated information is true to the best of my knowledge.

Place:

Signature:

Date:

Applicant's Name:

(Or on his behalf RESCO/MPUVN/or its

representative)

Instructions:

- 1. The filled-in application along with the necessary documents shall be submitted to jurisdictional O&M Sub-division office, ______ Discom.
- 2. The Application form can be downloaded from the website MPUVN/DISCOM.
- 3. The registration fees of Rs 1000 shall be payable in Cash / DD / Online
- 4. The applicant is advised to select a system installer, who is an empaneled channel partner of MNRE or vendor in agreement with MPUVNL for such purpose to install the particular type of Renewable Energy System.
- 5. For capacities above 100 kW or 500 kVA as the case may be as per clause 10.4 of Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016, Electrical Inspectorate, Government of Madhya Pradesh would be the inspecting and certifying authority. They shall certify whether the installation meets necessary safety standards.
- 6. Net meter as per CEA guidelines shall be purchased from Discom / MPUVN approved vendors. The vendors list of net meters can be downloaded from Discom/MPUVN website.

General Terms and Conditions:

- 1. The premise must have easy access for inspection, metering and other necessary checks.
- 2. The applicant should be the owner of the property or an authorized person of the owner organisation. If the property is in the name of the Company, Trust, Co-operatives / partnership firms, then authorization shall be assigned to a person for correspondence, paperwork, execution of various agreements, etc. Such person must be authorized by the management of the organization. In case of partnership firms, the authorized signatory must be one of the partners, to whom written consent has been given by the other partners.
- 3. The suggestive format for authorization certificate can be downloaded from the website or from Consumer Information manual. This authorization certificate must be submitted to the Discom office at the time of submitting the interconnection agreement signed by the authorised person.
- 4. Registered application is not transferable.
- 5. Discom shall not be held responsible for any legal disputes between the applicant and Renewable Energy system installer arising out of the contract.
- 6. The proposed capacity of the Renewable Energy system shall be in-line with the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013, for permitting consumer connections.

Annexure VB

<u>Application for Grid Connectivity and open access of Grid Connected Rooftop & Small Solar Photovoltaic System for beneficiaries of Category-II</u>

10:	
The Executive Engineer / The Supering	ntendent Engineer
(Distribution Licens	ee Name)
(Name / Address of office)	
Date:	
I / we herewith apply for registration service connection of which details a Applicant Details	on of the proposed renewable energy system at the existing re given below.
Name of applicant	
Address of applicant	
Service Connection Number (If available)	
Telephone/Mobile number(s)	
Email ID	
Existing Connection Details	
Connection Type	Single Phase / Three Phase
Sanction Load (KW/HP/KVA) and	•KW
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Contract Demand (KVA)	•HP
	•KVA
Category	Domestic / Non-Domestic / Industrial / Non- Industrial /
	Others (please specify)
Proposed System Details	
Type of proposed Renewable Energy system	Solar PV / Any Other (please specify)
Proposed Renewable Energy plant capacity at AC (Kilo Watts)	
Proposed Connectivity Voltage	Single Phase LT / Three Phase LT / HT
Location & Approximate suitable area (Sq. Mt) available for installation of proposed Renewable Energy plant	
Documents enclosed with this	application
Copy of latest electricity bill	Yes / No

Certificate: The above stated information is true to the best of my knowledge.

Place:

Signature:

Date:

Applicant's Name:

(Or on his behalf RESCO/MPUVN/or its representative) $% \left(\frac{1}{2}\right) =\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{$

Instructions:

- The filled-in application along with the necessary documents shall be submitted to EE/SE DISCOM.
- 2. The Application form can be downloaded from the website MPUVN/DISCOM.
- 3. For capacities above 100 kW or 500 kVA, as the case may be, as per clause 10.4 of Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016, Electrical Inspectorate, Government of Madhya Pradesh would be the inspecting and certifying authority. They shall certify whether the installation meets necessary safety standards.
- 4. Interface meter as per CEA guidelines and in accordance with relevant open access regulation is to be installed at the point of injection.

General Terms and Conditions:

- 1. The premise must have easy access for inspection, metering and other necessary checks.
- 2. The applicant should be the owner of the property or an authorized person of the owner organization. If the property is in the name of the Company, Trust, Co-operatives / partnership firms, then authorization shall be assigned to a person for correspondence, paperwork, execution of various agreements, etc. Such person must be authorized by the management of the organization. In case of partnership firms, the authorized signatory must be one of the partners, to whom written consent has been given by the other partners.
- 3. The suggestive format for authorization certificate can be downloaded from the website or from Consumer Information manual. This authorization certificate must be submitted to the Discom office at the time of submitting the interconnection agreement signed by the authorized person.
- 4. Registered application is not transferable.
- 5. Discom shall not be held responsible for any legal disputes between the applicant and Renewable Energy system installer arising out of the contract.
- 6. The proposed capacity of the Renewable Energy system shall be in-line with the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013, for permitting consumer connections.

Annexure VC

To:

MPUVN

(Name / Address of office)

<u>Intimation for Grid Connectivity of Grid Connected Rooftop & Small Solar</u> <u>Photovoltaic System for beneficiaries of Category-III</u>

The Executive Engineer / The Superintendent Engineer

Date:	
I / we herewith apply for registration service connection of which details a	on of the proposed renewable energy system at the existing re given below.
Beneficiary Details	
Name of the beneficiary	
Address of beneficiary	
•	
Service Connection Number	
(If available)	
Telephone/Mobile number(s)	
Email ID	
Existing Connection Details	
Connection Type	Single Phase / Three Phase
Sanction Load (KW/HP/KVA) and Contract Demand (KVA)	•KW •HP

	•KVA
Category	Domestic / Non-Domestic / Industrial / Non- Industrial /
	Others (please specify)
Proposed System Details	
Type of proposed Renewable Energy system	Solar PV / Any Other (please specify)
Proposed Renewable Energy plant capacity at AC (Kilo Watts)	
Proposed Connectivity Voltage	Single Phase LT / Three Phase LT / HT
Approximate suitable area (Sq. Mt) available for installation of proposed Renewable Energy plant	
Documents enclosed with this	intimation
Copy of latest electricity bill	Yes / No

Certificate: The above stated information is true to the best of my knowledge.

Place:

Signature:

Date:

Applicant's Name:

(Or on his representative) RESCO/MPUVN/or behalf its

Instructions:

- 1. The filled-in application along with the necessary documents shall be submitted to EE/SE MPUVN.
- 2. The Application form can be downloaded from the website MPUVN.
- 3. For capacities above 100 kW or 500 kVA as the case may be as per clause 10.4 of Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016, Electrical Inspectorate, Government of Madhya Pradesh would be the inspecting and certifying authority. They shall certify whether the installation meets necessary safety standards.

General Terms and Conditions:

- 1. The premise must have easy access for inspection, metering and other necessary checks.
- 2. The applicant should be the owner of the property or an authorized person of the owner organization. If the property is in the name of the Company, Trust, Co-operatives / partnership firms, then authorization shall be assigned to a person for correspondence, paperwork, execution of various agreements, etc. Such person must be authorized by the management of the organization. In case of partnership firms, the authorized signatory must be one of the partners, to whom written consent has been given by the other partners.
- 3. The suggestive format for authorization certificate can be downloaded from the website or from Consumer Information manual. This authorization certificate must be submitted to the Discom office at the time of submitting the interconnection agreement signed by the authorized person.
- 4. Registered application is not transferable.
- 5. Discom shall not be held responsible for any legal disputes between the applicant and Renewable Energy system installer arising out of the contract.
- 6. The proposed capacity of the Renewable Energy system shall be in-line with the provisions of the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2013, for permitting consumer connections.

Annexure VIIA

<u>Approval Letter with respect to</u> application for Net Metered renewable energy System

Date:					
To:					
(Cons	umer applicant's name) M/S / M	r. / Ms	-		
v		• .			
Ref:	Your application No	dated			
Rei.	Our registration number				
					1.1.6
	reference to your above ment				
instal	ling renewable energy system of_		kW in your p	remises as per	the following
terms	and conditions:		•		

- 1. You are advised to select an empanelled system installer of your choice to install the renewable energy system. The installer should have prior experience in design, supply and installation of renewable energy system. The system installer is advised to be an empanelled channel partner of MNRE or vendor in agreement with MPUVNL for such purpose.
- All components of renewable energy system must comply with applicable IS/IEC standards.
 Please find attached a list of standards to be complied with attached with this approval letter.
- 3. In case of any changes required at your premises due to this proposed installation, these shall be performed by you at your own cost.
- 4. The grid connectivity of the system shall be in accordance with the MPERC 'Net Metering Regulations 2015' dated 14.10.2015 and any amendments thereof from time to time and shall confirm to requirements of 'Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016'.
- 5. Net meter shall be purchased from Discom / MPUVN approved vendors (as per standards of MPERC/CEA and subsequent amendments thereof) and shall be fixed at the meter point, after getting successfully tested from Discom's or their authorized laboratory at the cost of Eligible Consumer.

- 6. The Applicant shall provide check meters when the renewable energy system capacity is higher than 250 kWp.
- 7. All the safety measures and standards of the installed system must comply with requirements as stated in MPERC/CEA Regulations and all standards referred to in those regulations.
- 8. Please submit the following documents after installation of Renewable energy system:
 - Work Completion report in provided format
 - > Test Certificate of Net meter from Discom laboratory
 - ➤ Inspection Report by Electrical Inspector, Government of Madhya Pradesh (as notified by the State Govt.), wherever applicable, i.e. renewable energy systems having capacity above 100kW or 500 kVA as the case may be as per clause 10.4 of Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016.
 - > Copy of signed Net Metering Interconnection Agreement on Rs. 500/- non-judicial stamp paper with Discom

This approval is valid for 180 days from the date of this letter and the renewable energy system is to be commissioned within this period, progress of system installation shall be monitored by MPUVN authorized officer / Agency and, if adequate progress is not observed MPUVN may recommend cancellation of the approval to DISCOM.

You should download the guidelines, the procedures and all technical specifications, standards and other requirements of the solar rooftop system from ______ (link to website of documents download)

Signature of Officer Name and Designation Date Stamp

Annexure VIIB

<u>Approval Letter with respect to</u> <u>the application for renewable energy System under category II</u>

Da	te:
То	
(C	onsumer applicant's name) M/S / Mr. / Ms
Re	.
	Our registration number dated
Wi	ith reference to your above mentioned application, approval is herewith accorded for
	stalling renewable energy system of kW in your premises as per the following
ter	rms and conditions:
1.	You are advised to select an empanelled system installer of your choice to install
	the renewable energy system. The installer should have prior experience in design, supply
	and installation of renewable energy system. The system installer is advised to be an
	empanelled channel partner of MNRE or vendor in agreement with MPUVNL for such
	purpose.
2.	All components of renewable energy system must comply with applicable IS/IEC
	standards. Please find attached a list of standards to be complied with attached with this
	approval letter.
3.	In case of any changes required at your premises due to this proposed
J.	installation, these shall be performed by you at your own cost.
4	The grid connectivity of the system shall confirm to requirements of Government
4.	of Madhya Pradesh's Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems,
_	2016.
5.	The Applicant shall provide check meters when the renewable energy system
	capacity is higher than 250 kWp.
6.	All the safety measures and standards of the installed system must comply with

requirements as stated in MPERC/CEA Regulations and all standards referred to in those

•

Stamp

regulations. Please submit the following documents after installation of Renewable energy 7. system: Work Completion report in provided format \triangleright Test Certificate of interface meter from Discom laboratory ➣ Inspection Report by Electrical Inspector, Government of Madhya Pradesh (as notified by the State Govt.), wherever applicable, i.e. renewable energy systems having capacity above 100kW or 500 kVA, as the case may be, as per clause 10.4 of Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016. This approval is valid for 180 days from the date of this letter and the renewable energy system is to be commissioned within this period, progress of system installation shall be monitored by MPUVN authorized officer / Agency and, if adequate progress is not observed MPUVN may recommend cancellation of the approval to DISCOM. You should download the guidelines, the procedures and all technical specifications, standards _ (link to website of and other requirements of the solar rooftop system from _____ documents download) Signature of Officer Name and Designation Date